भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़–160019
**ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector 27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160019**

पत्रांक सं. 7(10)/2018-19/Store/Chd/344.    दिनांक: 31.08.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान फार्म निकट मनसा देवी, सेक्टर–4, पंचकुला पर निम्नलिखित खडी फसलों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 21.09.2022 को सुवह 11:00 बजे की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले किसी भी समय फसल को देख सकते हैं।

| क्रम संख्या | विवरण | एरिया |
|---|---|---|
| 1 | हाइब्रिड मक्की | 2.52 हेक्टेयर |
| 2 | ग्वार | 0.12 हेक्टेयर |

**नियम व शर्ते**

1. बोलीदाता को Covid-19 के नियमों का पालन करना होगा।
2. संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र मनसा देवी पंचकूला पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त खुली बोली के माध्यम से नीलामी पूर्ण की जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतू नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना होगा। जिन व्यक्तियों ने नीलामी हेतु पंजिकरण करवा लिया है वे ही बोली में भाग ले सकते है अन्य व्यक्तियों का नीलामी कक्ष में बैठना निशेध होगा। इसके अतिरिक्त एक बार नीलामी कक्ष में प्रवेश करने पर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तक वे बाहर नहीं जा सकेंगे।
4. बोलीदाता की पंजीयन राशि रू. 2,000/– पंजीयन से पूर्व नगद/ डी. डी/बैंकर्स चैक/Pos machine/SBI Collect के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
5. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. तथा आधार नम्बर की प्रति संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
6. सफल/उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि तत्काल नगद/डी. डी/बैंकर्स चैक/ए.टी.एम/ SBI Collect के माध्यम से Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में जमा करानी होगी। ऐसा नही किए जाने पर नीलामी की पंजीयन/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा। संस्थान के केन्द्राध्यक्ष को यह

अधिकार प्राप्त होगा कि उक्त नीलामी को रद्द करते हुए दूसरे नंबर के अधिकतम बोली दाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत कर सकते हैं।

7. नीलामी की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को छोड कर अन्य सभी बोलीदाओं द्वारा जमा कराई गई पंजीयन राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी।

8. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर नीलामी की बकाया 75 प्रतिशत राशि संस्थान में जमा करानी होगी इसके बाद ही बोलीदाता को फलियाँ/फल तोडनें की अनुमति दी जाएगी। निश्चित समयावधि में नीलामी की 75 प्रतिशत राशि नही जमा कराए जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा।

9. सफल बोलीदाता द्वारा फसलों पर लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध कराने होगें तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

10. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फसल की देख-रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

11. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

12. ग्वार फलियाँ/ मक्की तोडने के उपरान्त कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।

13. नीलाम की गई फसल के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निशेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

14. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तो का कडाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एंव शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

15. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।

16. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एंव संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नही होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

17. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।

18. ठेके की अवधि अक्तूबर 2022 तक मान्य होगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार) भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal पर publish करने हेतु।
2. प्रभारी, AKMU Cell, भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय/अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी।